तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **बचनकौर बनाम तुलसीराम** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2021/123**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.01.22	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त अपील को हम अपीलान्ट्स चलाना नही चाहते है क्योंकि गुरूजी के आदेश से हमने राजीनामा कर लिया है, इस सम्बन्ध में हम अपीलान्ट्स उक्त अपील में कोई कार्यवाही नही करेंगे। अतः अपील खारिज फरमा दी जावें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील खारिज करने में कोई आपत्ति नही की गई है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अपीलान्ट्स स्वयं ही अपनी अपील को चलाना नही चाहते है तथा खारिज कराना चाह रहे है तो ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा अपनी अपील को नही चलाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाबद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	